

प्रेस नोट:-

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 15.10.2019

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही:-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-13 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

गोण्डा। वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 14.10.2019 को जनपद के थानों से 43 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 655 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है-

01. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मुनेश्वर पुत्र देवीदीन नि0महंगीपुरवा गौहानी थाना तरबगंज गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 288/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 02. अजय पुत्र रामलाल नि0सेझिया थाना तरबगंज गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 289/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम व 03. मुन्नालाल पुत्र स्व0 मंगरे नि0सेझिया थाना तरबगंज गोण्डा के कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 290/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. टेढ़ई पुत्र रामसुन्दर नि0गोरधनिया खानपुर थाना वजीरगंज गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 390/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 02. गोलू पुत्र मोतीलाल नि0 भीखमपुर थाना वजीरगंज गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 391/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 03. राजू उर्फ खुशीराम पुत्र जवाहर भीखमपुर थाना वजीरगंज गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 392/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 04. नन्दलाल पुत्र रामनरेश नि0देवी नगर थाना वजीरगंज गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 393/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम व 05. अजय सिंह पुत्र भोले सिंह नि0 मझारा थाना वजीरगंज गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 393/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. बेचूलाल पुत्र स्व0 राजमन नि0 रामापुर भगाही थाना नवाबगंज गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 388/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 02. बेचूलाल पुत्र रामलक्षन नि0 कटराभेगचन्द थाना नवाबगंज गोण्डा के कब्जे से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 390/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम व 03. अनिल निषाद पुत्र दरस निषाद नि0 कस्बा व थाना नवाबगंज गोण्डा के कब्जे से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 391/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

04. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. कामता प्रसाद पुत्र रामऔतार नि0 बालपुर सोटिया थाना मोतीगंज गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-261/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम व 02. रामहेतु पुत्र रामसमुझ रविदास नि0बालपुर सोटिया थाना मोतीगंज गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-262/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

05. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. आंधी पुत्र मुनेश्वर नि0गोपाल थाना खोड़ारे गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-162/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम व 02. लालजीत पुत्र रामकुमार नि0गोसाईगंज थाना खोड़ारे गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-163/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

06. थाना कटरा बाजार द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सुनील कुमार पुत्र तुलसीराम नि0छतौरा कहारनपुरवा थाना कटराबाजार गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-237/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

07. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. शिवकुमार तिवारी पुत्र स्व0 बाबू तिवारी नि0 उपाध्यायपुरवा पसका थाना परसपुर गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-271/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम व 02. संजय कुमार शुक्ल पुत्र रामसमुझ शुक्ल नि0दखिहनपुरा सरैया थाना परसपुर गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-272/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

08. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राहुल सोनकर पुत्र रामसेवक नि0महुवाडीह थाना मनकापुर गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 418/19, धारा 272/273 भा0द0वि0 60 आबकारी अधिनियम, 02. बच्चाराम सोनकर पुत्र हीरालाल सोनकर नि0महुवाडीह थाना मनकापुर गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 419/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 03. लोकई प्रसाद पुत्र रामअधारे नि0चौबेपुर थाना परशुरामपुर बस्ती के कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 420/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम व 04. वितानू पुत्र रामसनेही नि0वलुहा अम्बरपुर थाना मनकापुर गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 421/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

09. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राधेश्याम पुत्र रामधीरज नि0रानीपुर लहुरा थाना छपिया गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 300/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 02. 01. रामबरन पुत्र रामदेव 02. सन्जू पतनी रामदेव नि0 सुकईपुरवा थाना इटियाथोक गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 301/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 03. संगमलाल पुत्र फूलचन्द नि0गोपालपुर चौबे थाना इटियाथोक गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 302/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 04. विजय लाल पुत्र मजनू नि0रानीपुर लहुरा थाना इटियाथोक गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 303/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम व 05. रामबचन पुत्र सहजराम नि0सुकईपुरवा थाना इटियाथोक गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 304/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

10. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. उनद्रावती पत्नी रामनरेश सोनकर नि0ककरहवा थाना को0देहात गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 355/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 02. सर्वजीत पुत्र हरिराम नि0हासिमपुर थाना करनैलगंज गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 356/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 03. राजेश्वर सिंह पुत्र भगौती सिंह नि0बालपुर जाट थाना को0देहात गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 357/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 04. दयाराम पुत्र बृजमोहन नि0पिपराडीह थाना को0देहात गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 358/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 05. चन्द्रिका सोनकर पुत्र रामराज नि0चिड़ियापुर थाना को0देहात गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 359/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम व 06. कालू प्रसाद पुत्र रामसागर नि0चिड़ियापुर थाना को0देहात गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 360/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

11. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. फूलचन्द पुत्र जलेबी नि0नैपालपुरवा थाना को0नगर गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 781/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 02. बब्बू वर्मा पुत्र राम विहारी वर्मा नि0कहिरनपुरवा थाना को0नगर गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 783/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 03. संतोष सोनकर पुत्र रामदेव नि0 भट्टा परेड सरकार थाना को0नगर गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 785/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम व 04. बेचनलाल पुत्र बुद्धलाल नि0करवला रोड पाठक थाना को0नगर गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 787/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

12. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अशर्फी पुत्र विशुन नि0बुधसागरपुरवा थाना धानेपुर गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-367/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम व 02. 01. सुल्तान प्रसाद पुत्र नानमून नि0भोलापुरवा थाना धानेपुर गोण्डा 02. रोहित पुत्र कामता प्रसाद 03. पारसनाथ उर्फ ढोजे पुत्र मोतीलाल नि0गण सुग्गापुर थाना धानेपुर गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-368/19, धारा 60,(60)2 आबकारी अधिनियम व 03. किशुन पुत्र स्व0 रामगरीब नि0नौसहरा बनगाई थाना धानेपुर गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-369/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही—

थाना को0नगर से अभियुक्त—

जनपद गोण्डा के थाना को0नगर पुलिस द्वारा नाजायज नाकू के साथ अभियुक्त— धर्मेन्द्र कुमार मिश्र पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मिश्र नि0 भटवलिया थाना को0नगर जनपद गोण्डा को गस्त के दौरान गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना को0नगर में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0—782/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही करते हुए चालान न्यायालय किया गया।

थाना छपिया से अभियुक्त—

जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस द्वारा नाजायज नाकू के साथ अभियुक्त— सलीम पुत्र बेचू नि0 बेलहवा जंगल थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को गस्त के दौरान गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना छपिया में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0—288/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 02. सलीम उर्फ मोनू पुत्र मोहादुर उर्फ रहमतुल्ला नि0 पकड़ीखर्द थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज को गस्त के दौरान गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना छपिया में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0—289/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही करते हुए चालान न्यायालय किया गया।

लड़की के साथ छेड़छाड व जानमाल की धमकी देने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज पुलिस ने छेड़छाड व गाली गुप्ता देते हुए जानमाल की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त —01. ब्रिजेश सिंह 02. जीतेन्द्र सिंह पुत्रगण बट्टी निवासीगण भगतपुरवा अशोकपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0—387/19 धारा— 323/504/506/452/354क भा0द0वि0 व 3(1)द ध एससी/एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियुक्तगण ने दिनांक 09.10.2019 को थाना नवाबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की के साथ घर में घुसकर छेड़छाड व जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना नवाबगंज में उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें नवाबगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तगण को दिनांक 15.10.2019 को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज पुलिस ने चोरी करने के आरोपी अभियुक्त— देवेन्द्र सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह उर्फ नौरंगी निवासी अशोकपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को थाना नवाबगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0— 389/19 धारा 457/380/323 भा0द0वि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

दिनांक 14.10.2019 को वादी नीता सिंह पत्नी सूर्यनारायण सिंह निवासी अशोकपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के घर से उक्त अभियुक्त मोबाइल चोरी करके फरार हो गया था। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें थाना नवाबगंज पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 15.10.2019 को उसके घर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किया गया तीन मोबाइल हैण्डसेट बरामद कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 15.10.2019

नाजायज गांजा के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार, एक चार पहिया गाड़ी भी बरामद—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. प्रदीप कुमार वर्मा पुत्र राघवराम वर्मा नि० कपिसा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा ।
02. रामब्रीस वर्मा पुत्र हरिहर प्रसाद वर्मा नि० भलारी थाना को० देहात जनपद गोण्डा ।
03. पवन कुमार वर्मा पुत्र आदित्य प्रसाद नि० थाना को० देहात जनपद गोण्डा ।
04. रज्जत पुत्र बुधई वर्मा नि० मलारीडीह थाना को० देहात जनपद गोण्डा ।

बरामदगी—

01. 05 किलो 450 ग्राम नाजायज गांजा ।
02. 01 ब्रेजा चार पहिया गाड़ी यूपी 32 केएस 3243 ।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-236/19, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट 419/420/467/468/471 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।

संक्षिप्त विवरण—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा राजकरन नय्यर द्वारा जनपद में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के सम्बन्ध में रोक लगाने के कड़े निर्देश समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। इसी क्रम में दिनांक 14.10.2019 को थाना कटराबाजार पुलिस ने क्षेत्रभ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियुक्तों को वीरपुर नहर के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 05 किलो 450 ग्राम नाजायज गांजा व 01 ब्रेजा चार पहिया गाड़ी यूपी 32 केएस 3243 बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय में एन०डी०पी०एस० एक्ट व सम्बंधित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. प्रभारी निरीक्षक कटराबाजार मनोज कुमार सिंह ।
02. उ०नि० रामप्रकाश यादव ।
03. उ०नि० परशुराम ।
04. हे०का० जगदीश राय ।
05. का० अनिल सिंह ।
06. का० पियूष यादव ।
07. का० सुरेश यादव ।
08. का० चालक सत्यपाल ।